

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा-पत्र

उनवान..... दीप्ति मीना बनाम अपेक्षित
 किस्म मुकदमा चर्चा-225 (रेस्टोरेशन) अपील संख्या 2024/88
 अभिभाषक अपीलान्त एन. वि. 1900/5 अभिभाषक रेस्पोंडेंट

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
------------	-----------------------------------	---

18/3/25

अभिभाषक अपीलान्त / रेस्पोंडेंट उपस्थित
 बहस हेतु समय चाहा गया। पत्रावली वास्ते रेस्टोरेशन
 बहस दिनांक 25/3/25 को पेश हो।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

पत्रावली रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर बहस के लिये

25/3/2025

पेश हुई है। उक्त पत्रावली अभिभाषक अपीलान्त व
 अपीलान्तगण के अनुपस्थित रहने के कारण इस न्यायालय
 के निर्णय दिनांक 30.04.2024 से अदम हाजरी अदम पैरवी
 में खारिज की गयी। अभिभाषक अपीलान्त उपस्थित एवं
 रेस्पोंडेंट अनुपस्थित। हमने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर
 अभिभाषक अपीलान्त की एकपक्षीय बहस सुनी। अभिभाषक
 अपीलान्त की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली
 का अवलोकन किया। न्यायहित में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र
 स्वीकार किया जाकर मूल पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर किये
 जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र नम्बर
 से कम किया जाकर पत्रावली के साथ सलंगन किया जावे।

25/3/25



(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
 राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी पदेन भू-प्रबन्ध अधिकारी कोटा, (राज0)

Order
25/06/24



कैलाश मीणा पुत्र श्री गोपी लाल मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम मेलखेडी तहसील एवं जिला कोटा हाल निवासी-कॉलेज रोड राजश्री एन्टरप्राइजेज के सामने बारां-राजस्थान मो0नं0 6376031209

-अपीलांत

बनाम

1. भूपेन्द्र सिंह पुत्र उधम सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम काकडदा तहसील किशनगंज जिला बारां-राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां, राजस्थान

-रेसपोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां

जिला बारां निर्णय दिनांक 26.01.2021 प्र0सं0 31/2019

अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र वास्ते रिस्टोर किये जाने अपील।

मान्यवर,

अपीलांत सादर निवेदन करता है।

1. यह कि उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 30.04.2024 को अपीलांत की अनुपस्थिति दर्ज कर अपील अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज की है।
2. यह कि दिनांक 30.04.2024 को प्रार्थी की अनुपस्थिति सद्भाविक एवं क्षमा योग्य है। फरवरी माह में प्रार्थी के परिवार में पुत्री का विवाह था उसके पश्चात प्रार्थी अचानक पीलिया रोग से ग्रसित हो गया। प्रार्थी ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला है,

[Signature]

[Signature] 02..